MADHUPUR NAGAR PARISHAD

झारखण्ड नगरपातिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये संम्पती कर की सूचना।

Memo No : 901380050623123552

Date

: 05-06-2023

प्रभावी

: चतुर्थ तिमाही 2022-2023

श्री/श्रीमती/सुश्री SHATRUGHAN MANDAL AND CHAMPA DEVI C/O PITAMBAL MANDAL AND HIRALAL MANDAL . मोहल्ला TAHIR MANSION, LORD SINHA ROAD MADHUPUR

DEOGHAR 815353

6200772762

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं॰ - 0090000226000M0 वार्ड सं॰ 9 हुआ है, आपके स्व॰ निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य **0**/- रू॰ **निर्धारित किया** गया है । इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न **प्रका**र होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं॰	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	92.00
2	जल कर	0.00
3.	शोचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संर क्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		92.00



To be signed by the Applicant

- 1. कर निर्धारण की सूची, MADHUPUR NAGAR PARISHAD Website, <u>suda jharkhand gov.in</u> पर प्रदर्शित है।
- 2. नियमावली कंडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पति कर का 50% होगा । हिदायत दी जाती है कि. वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
- 3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा
- 4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियातय दी जाएगी।
- 5. किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- 6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- 7. MADHUPUR NAGAR PARISHAD द्वारा संग्रहित इस सम्पति कर इन इमरतों/ढांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- 8. अगर आपके नये होल्डिंग नंओ का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा ।

NOTE: This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.